[2021] एस. सी. आर. 583

जीआर ग्रीन लाइफ एनर्जी पी. वी. टी. लिमिटेड.

बनाम

लीटविंड श्रीराम मैन्युफैक्चरिंग पी. वी. टी. लिमिटेड

(2021 की सिविल अपील No.692)

22 फरवरी, 2021

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-अपीलार्थी-ठेकेदार और प्रत्यर्थी ने एक पवन फार्म परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौता किया था-समझौते में एक मध्यस्थता खंड (खंड 20) शामिल था-पक्षों के बीच विवाद-प्रत्यर्थी ने समझौते के खंड 20 के तहत मध्यस्थता का आह्वान किया, और अपने मध्यस्थ को नामित किया, अपीलार्थी से अपने मध्यस्थ का नामांकन करने का अनुरोध किया-अपीलार्थी ऐसा करने में विफल रहा-इसके बाद, प्रत्यर्थी ने याचिका दायर की।उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम के 11 (6) में, न्यायालय से समझौते के खंड 20 के संदर्भ में अपीलकर्ता की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध करते हुए-उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि चूंकि पक्षकार अपने समझौते में 1996 के अधिनियम के तहत अपने सभी विवादों को संदर्भित करने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए यह मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त मामला था और यह कि तीन सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए प्रदान किया गया समझौता-प्रत्यर्थी ने पहले ही अपना मध्यस्थ नामित कर दिया था, अपीलार्थी को एक मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था, और यह आगे निर्देश दिया गया था कि इस तरह के नामांकन पर, दोनों मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे-अपीलकर्ता-ठेकेदार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, पक्षकार अपने विवादों का निर्णय मध्यस्थ के तहत करने के लिए सहमत हुए।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 692।

2019 की मूल याचिका संख्या 300 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.09.2020 से।

सुश्री श्वेता शर्मा, दिग्गज पाठक, रवि रघुनाथ, सुश्री आकाशी लोढ़ा, सन्यात लोढ़ा, अधिवक्ता पक्षकारों की ओर से उपस्थित

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

अनुमति दी गई।

1. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2019 की मूल याचिका संख्या 300 में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर एक आवेदन पर पारित आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता-ठेकेदार द्वारा वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई है।

2. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक पवन कृषि परियोजना स्थापित करने के लिए 10.02.2014 दिनांकित एक विकास समझौता किया था, जिसमें एक मध्यस्थता खंड था।समझौते का खंड 20 इस प्रकार हैः

> **"20.** शासी कानून और क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया की सेवा।
>
> ग) सभी विवाद, मतभेद और दावे या इसके द्वारा बनाए गए परियोजना कार्य से संबंधित कोई भी गैर-भुगतान और/या इस उपहार को छूते हुए, इसमें निहित किसी भी चीज़ से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर सूचित) के प्रावधानों के तहत चेन्नई में आयोजित होने वाले मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।मध्यस्थता पैनल में तीन मध्यस्थ होंगे, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। यहां पक्षकार मध्यस्थता न्यायाधिकरण के किसी भी अंतरिम निर्णय या निर्देश का विधिवत पालन करेंगे और मध्यस्थता के अनुसरण में निर्णय अंतिम होगा और यहां पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।"

3. अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा उठाए गए दावों के संबंध में पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, जिसके कारण एक कानूनी नोटिस जारी किया गया जिसमें 1 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने की मांग की गई। 3,26,08,545/-।

4. प्रत्यर्थी ने 21.01.2019 दिनांकित पत्र के माध्यम से नोटिस में आरोपों को अस्वीकार कर दिया, और तर्क दिया कि ठेकेदार विकास समझौते के तहत सहमत सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहा है।यह आगे तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता-ठेकेदार 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.10,26,00,000 की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी था, और 5 लाख रुपये के परिसमाप्त हर्जाने का भुगतान करने के लिए प्रत्यार्थी कंपनी 1,54,00,000/- के लिए उत्तरदायी था।

प्रत्यर्थी ने समझौते के खंड 20 के तहत मध्यस्थता का आह्वान किया, और अपने मध्यस्थ को नामित किया, जिसमें अपीलार्थी से अपने मध्यस्थ का नामांकन करने का अनुरोध किया गया था।

5. दिनांक 18/03/2019 को, प्रतिवादी ने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि न्यायालय समझौते के खंड 20 के संदर्भ में अपीलार्थी की ओर से एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, क्योंकि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहा था।

6. इसके बाद, अपीलकर्ता-ठेकेदार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("एमएसएमईडी अधिनियम") के तहत खुद को पंजीकृत किया और एमएसएमईडी अधिनियम के तहत स्थापित सुविधा परिषद, पुणे के समक्ष विवादों के समाधान के लिए एक आवेदन दायर किया।

7.इस बीच, धारा 11 के तहत याचिका को उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लिया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सुविधा परिषद को जवाबी दावों के संदर्भ और उसके निर्णय के लिए कोई प्रावधान नहीं है।एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 15 से 18 एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार द्वारा किए गए दावों के संबंध में विवादों के संदर्भ का प्रावधान करती है। भले ही एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम की धारा 24 एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम को प्रबल प्रभाव देती है, लेकिन यह इस मामले में लागू नहीं होगी, क्योंकि इस अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता-ठेकेदार के खिलाफ दायर जवाबी दावों से निपटने का कोई प्रावधान नहीं है।

उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत जवाबी दावे करने का कोई प्रावधान नहीं है, और दोनों पक्षों ने 1996 के अधिनियम के तहत अपने

सभी विवादों को संदर्भित करने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए यह मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक उपयुक्त मामला था।मध्यस्थता समझौते में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया था।आवेदक (यहाँ प्रतिवादी) ने पहले ही अपने मध्यस्थ को नामित कर दिया था, ठेकेदार को एक मध्यस्थ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।इस तरह के नामांकन पर, दोनों मध्यस्थ पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

8. अपीलार्थी-ठेकेदार ने 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 16027 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश दिनांक 16.09.2020 को चुनौती दी।

कार्यवाही के दौरान, पक्षकार न्यायालय द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत अपने विवादों पर निर्णय लेने के लिए सहमत हुए हैं।

दोनों पक्षों के वकील द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, दिनांकित विकास समझौते दिनांक 10/02/2014 के खंड 20 को इस हद तक हटा दिया गया है कि मध्यस्थता तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी।

हम मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. कन्नन को दिनांक 10/02/2014 के विकास समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों द्वारा किए गए सभी दावों और जवाबी दावों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं।मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता का संचालन किया जाएगा।मध्यस्थता कार्यवाही मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र द्वारा अपने नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 के तहत स्वतंत्रता और निष्पक्षता और मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में की जाने वाली घोषणाओं के अधीन है।एकल मध्यस्थ को मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र (प्रशासनिक लागत और मध्यस्थ शुल्क) नियम, 2017 की अनुसूची के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

इस आदेश की एक प्रति मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र और न्यायमूर्ति के. कन्नन (सेवानिवृत्त) को निम्नलिखित पते पर भेजी जाएः

"न्यायमूर्ति के. कन्नन

3/11, लक्ष्मी कॉलोनी,

नॉर्थ क्रिसेंट, टी. नगर

चेन्नई-600017

भीड़ः+ 91-9780008145 "

9. उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, एम. एस. एम. ई. डी. अधिनियम के तहत अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा दायर आवेदन, एम. एस. एफ. ई. सी. मामला सं. एम. एच./26/एम./पी. एन. ई./02000,22.10.2020 पर सुविधा परिषद, पुणे द्वारा बंद रहेगा।

10. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निस्तारण कर दिया जाता है ।

बिभूति भूषण बोस अपील का निस्तारण किया गया।